

राजकीय महाविद्यालय, फागी, जयपुर

राजकीय महाविद्यालय, फागी, जयपुर

(राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध)

संरक्षक : डॉ. वंदना बरमेचा, प्राचार्य

सम्पादक मण्डल : डॉ. मुरारीलाल दायमा

श्री पुष्कर सिंह बगड़िया

डॉ. ममता सिंह

विवरणिका में संकलित सामग्री, नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन करना प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, फागी (जयपुर) के विवेकाधीन है।

E-mail : govtcollegephagi@gmail.com

Website <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcphagi>

राजकीय महाविद्यालय, फागी, जयपुर

विवरणिका

सत्र 2022–2023

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय
1.	महाविद्यालय : सामान्य परिचय
2.	प्राचार्य का संदेश
3.	पाठ्यक्रम एवं कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या
4.	प्रवेश संबंधी नियमावली एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के चरण
5.	छात्रवृत्तियाँ
6.	महाविद्यालय के सामान्य नियम एवं उपस्थिति संबंधी नियम
7.	रैगिंग निषेध
8.	सह-शैक्षणिक तथा शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ
9.	महिला प्रकोष्ठ
10.	रोवर रेन्जर
11.	महाविद्यालय परिवार
12.	समितियाँ : प्रवेश समिति, एंटी रैगिंग, हेल्पडेस्क, अनुशासन
13.	शुल्क विवरण
14.	सत्र कैलेंडर

परिचय:—

वर्ष 2019 में स्थानीय विधायक माननीय श्री बाबूलाल जी नागर के अथक प्रयास फलीभूत हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा के द्वारा फागी को महाविद्यालय की सौगात दी। महाविद्यालय का उद्घाटन माननीय विधायक महोदय श्री बाबूलाल नागर के कर कमलों द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को किया गया।

राजकीय महाविद्यालय, फागी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सत्र 2019–20 में कला संकाय के 375 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ किया गया। महाविद्यालय में अनिवार्य विषय के साथ हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, एवं चित्रकला ऐच्छिक विषयों का अध्यापन उच्च योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा करवाया जाता है।

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय फागी डिग्गी मालपुरा रोड पर बगीची वाले बालाजी के मंदिर के पास तालाब के मनोरम/मनोहर पाल पर पूर्व के रा. उ. प्रा. वि. नं. 2 के रिक्त भवन में संचालित है। महाविद्यालय का नवीन व स्थाई भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण हो जाना अपेक्षित है।

फागी जयपुर जिला मुख्यालय से 50 किमी. दूर SH-2 व SH-12 के चौराहे पर स्थित है। यहां तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय है। फागी पंचायत समिति का लगभग आधा क्षेत्र दूदू विधानसभा एवं अजमेर लोक सभा क्षेत्र तथा लगभग आधा क्षेत्र चाकसू विधानसभा एवं दौसा लोकसभा क्षेत्र में आता है। फागी एक ऐतिहासिक स्थान है। जनश्रुति के अनुसार फागणा गुर्जर द्वारा बसाये जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम फागी पड़ा। फागी कस्बा एक टीले पर बसा हुआ है जिसकी खुदाई में अनेक पुरातात्विक महत्व की सामग्रियों के निकलने के आधार पर जान पड़ता है कि प्राचीन काल में भी यह स्थान जन-जीवन से आबाद था। फागी के पास ही (8 किमी. दूर) माधोराजपुरा उपतहसील है जो कि “नये शहर” के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जयपुर नरेश सवाई माधोसिंह प्रथम ने मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में जयपुर की तर्ज पर की थी।

धार्मिक दृष्टि से भी फागी का महत्व है। सुप्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर फागी के पास ही स्थित है। जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी प्रकार समेलिया गांव में रणछोड जी का प्राचीन मंदिर मांसी नदी-के किनारे स्थित है जहां धुलण्डी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा फागी-में चारभुजा मन्दिर, तेजाजी मंदिर जैसे अनेक धार्मिक स्थल है। रामपुरा गांव ओलिया बाबा की दरगाह भाईचारे एवं विश्वास का प्रतीक हैं।

महाविद्यालय के नवीन व स्थाई भवन के निर्माण का भूमिपूजन माननीय शिक्षामंत्री राजस्थान सरकार एवं विधायक (दूदू फागी विधानसभा क्षेत्र) माननीय श्री बाबूलाल नागर द्वारा किया गया।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम : कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय

स्नातक पार्ट प्रथम

स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम में प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से भरे जाएंगे।

तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय उपाधि हेतु विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में तीन वैकल्पिक विषयों व पाँच अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा। यह पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदण्डों के सर्वथा अनुरूप है। वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा किया जाता है।

बी.ए. पार्ट प्रथम – प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान – 160

बी.कॉम. पार्ट प्रथम – प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान – 80

बी.एससी. पार्ट प्रथम – प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान – गणित – 70

जीवविज्ञान – 70

अनिवार्य विषय –

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन
4. पर्यावरणीय अध्ययन
5. आनंदम

ऐच्छिक विषय :-

महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित विषय समूहों में से विद्यार्थी किन्हीं तीन ऐच्छिक विषयों का चयन कर सकते हैं।

तदनुसार निम्नांकित विषय संयोजन में से विद्यार्थी को किसी एक विषय संयोजन का आवंटन किया जायेगा। इसलिए विद्यार्थी वरीयता क्रम से कम से कम छः विषय संयोजन को प्रवेश आवेदन पत्र में भरें।

प्रवेश के सामान्य नियम

महाविद्यालय में समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित प्रवेश नीति सत्र 2022-23 के अनुसार सम्पन्न होंगे। यह प्रवेश नीति आयुक्तालय की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

1. महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष स्तर पर प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से किये जाएंगे।
2. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार सम्पन्न किये जायेंगे।
3. महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय/विषय में जितने विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।
4. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार प्रारम्भ होंगे। प्रवेश लेते समय विद्यार्थी अपना आवेदन-पत्र सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि तक घोषित नहीं होते हैं, वे विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा निदेशालय के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में आगे की कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क जमा करवायेगे।
5. ऑन लाईन आवेदन-पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जो प्रवेश नीति में दी गई समय सारणी एवं नियमों के अनुसार भरे जायेंगे/प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएं महाविद्यालय की वेब साइट पर भी उपलब्ध है।
6. प्रवेशार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रवेश नीति में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की प्रति स्कैन कर अपलोड करेंगे तथा प्रवेश सूची में नाम आने पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उन्हीं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। सामान्यतः प्रवेश हेतु निम्नांकित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है:—
 - (क) अंतिम संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति
 - (ख) अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/मार्कशीट की मूल व दो प्रमाणित प्रतिलिपियां
 - (ग) चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) की मूल प्रति

(घ) सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका की मूल व दो सत्यापित प्रतिलिपियां
(च) यदि प्रवेशार्थी ने राष्ट्रीय सेवा योजना, स्कॉउट, खेलकूद आदि में बोनस अंक हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया है। तो उनके प्रमाण पत्र की मूल व प्रमाणित प्रतिलिपियां

(छ) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जो आयकरदाता नहीं हैं। वे शिक्षण शुल्क से मुक्ति हेतु तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(ज) यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति /एसबीसी/दिव्यांग/अन्य विशेष श्रेणी (प्रतिरक्षा/कश्मीरी इत्यादि) का है तो उसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर तदनुसार संशोधित नियम ही लागू होंगे।
8. आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के एवं पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिये।
9. यदि प्रवेशार्थी आवेदन पत्र के साथ किसी भी आवश्यक प्रमाण पत्र हो प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसे सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्रवेश संबंधी नियम/आदेश प्राप्ति के साथ ही स्वतः मान्य होंगे।
11. प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी को उचित कारण होने पर प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं।
12. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया या उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया अथवा उसके प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पायी गयी व उसने महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अवांछनीय होने के कारण दंडनीय अपराध समझा जायेगा तथा उसका प्रवेश भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

महाविद्यालय के सामान्य नियम

1. सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें।
2. विद्यार्थी को महाविद्यालय में अपनी साईकिल, स्कूटर आदि निर्धारित स्थान पर ही रखने चाहिए। यदि कोई वाहन अन्यत्र रखा मिला तो समुचित कार्यवाही (आर्थिक दंड, अनुशासनात्मक कार्यवाही) की जायेगी।
3. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन का उपयोग करना सर्वथा वर्जित है।
4. किसी विद्यार्थी का व्यवहार महाविद्यालय के प्रांगण में या बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को क्षति पहुंचे।
5. विद्यार्थियों द्वारा धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। महाविद्यालय प्रांगण में यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता पाया गया/पायी गयी तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यार्थी को हर वर्ष वार्षिक परीक्षा बैठने से पूर्व उन पर यदि महाविद्यालय का कुछ बकाया है, तो उसे चुकाकर अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
7. विद्यार्थी के लिये आवश्यक सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

सूचना पट्ट पर सूचना लगाने का तात्पर्य यह माना जायेगा कि विद्यार्थियों को सूचना दे दी गयी है। अतः विद्यार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखना चाहिए। महाविद्यालय ऐसे किसी बहाने को मान्यता नहीं देगा कि विद्यार्थी ने सूचना पट्ट नहीं देखा था अथवा विद्यार्थी को किसी आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी।

8. महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एक परिचय पत्र प्रवेश के साथ ही दिया जायेगा। जिसे विद्यार्थी सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है। उसका दुरुपयोग न हो, इसलिए परिचय पत्र सत्र में एक बार ही दिया जाएगा। परिचय पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने पर स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा 50 रुपये शुल्क जमा कराने पर ही नया परिचय पत्र दिया जा सकेगा। महाविद्यालय के किसी भी

- अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परिचय पत्र मांगने पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
9. विद्यार्थियों को प्राध्यापक वर्ग के प्रति उचित सम्मान तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दण्डनीय होगा।
 10. परिसर की स्वच्छता बनाये रखने में विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है। दीवारों की स्वच्छता व कक्षा में सुव्यवस्थित फर्नीचर विद्यार्थियों के सहयोग से ही सम्भव है। महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना दण्डनीय अपराध होगा।
 11. इन नियमों में परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा।
 12. उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राचार्य द्वारा उचित दण्ड दिया जायेगा। जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन भी किया जा सकता है।
 13. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की हर विषय में (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक कालांशों में) न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कॉलेज शिक्षा द्वारा उपस्थिति के नियमों का कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही गिनी जाएगी चाहे विद्यार्थी ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो। संकाय अथवा विषय परिवर्तन करने वाले विद्यार्थी इस संदर्भ में सतर्क रहें।

रैगिंग एक आपराधिक कृत्य

महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक नवागन्तुक विद्यार्थी हमारे परिवार की महत्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई को उन्नत तथा समृद्ध बनाना हमारा दायित्व है। वरिष्ठ विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीन विद्यार्थियों के साथ मधुर, स्नेहिल व सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखें। ये विद्यार्थी वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त विरासत को ही ग्रहण करेंगे। अतः इनका दायित्व और भी अधिक हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने कर्त्तव्यों से विमुख होकर रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रैगिंग की रोकथाम हेतु एंटी रैगिंग समिति से तुरन्त सम्पर्क किया जाना चाहिए।

सह-शैक्षणिक तथा शिक्षणतर गतिविधियां

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय में युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के अन्तर्गत महिला प्रकोष्ठ, छात्र परामर्श केन्द्र ट्रैफिक/रोड सेफटी क्लब, मानवाधिकार क्लब इत्यादि गतिविधियां संचालित की जाती है।

साथ ही महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सह-शैक्षणिक तथा शिक्षणतर गतिविधियां आयोजित की जाती है जिससे कि विद्यार्थी समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाकर सुयोग्य नागरिक बन सकें। आयुक्तालय द्वारा आदेशित अन्य विविध कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित करवाये जायेंगे।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को जागरूक करना है। प्रत्येक छात्रा इसकी अनिवार्य रूप से सदस्य होती है। यह प्रकोष्ठ छात्राओं हेतु शैक्षणिक व शिक्षणोत्तर गतिविधियों का संचालन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है एवं छात्राओं को महिला उत्थान व सशक्तिकरण हेतु प्रेरित करता है। इस हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राएं सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने हेतु महाविद्यालय में यौन उत्पीडन निवारण समिति का गठन किया गया है। पीडिता अपनी शिकायत प्राचार्य अथवा समिति के संयोजन को लिखित रूप में प्रेषित कर सकती है।

रोवर रेंजर—

महाविद्यालय में रोवर रेन्जर की गतिविधियां संचालित है। इच्छुक विद्यार्थी संबंधित अधिकारी श्री गणेशनारायण शर्मा एवं डॉ. अर्चना जोशी से सम्पर्क कर अपना नाम लिखवा सकते हैं।

राजकीय महाविद्यालय, फागी, जयपुर

महाविद्यालय परिवार

शैक्षणिक अधिकारी

कार्यवाहक प्राचार्य : डॉ. वंदना बरमेचा,

सह आचार्य :

1. हिन्दी – डॉ. वंदना बरमेचा
2. राजनीति विज्ञान – डॉ. मुरारी लाल दायमा
3. भूगोल – श्री पुष्कर सिंह बगड़िया
4. अर्थशास्त्र – डॉ. सीमा चौधरी
5. इतिहास – श्री गणेश नारायण शर्मा
6. अंग्रेजी – डॉ. हनुमान प्रसाद श्रीमाल
7. चित्रकला – डॉ. अर्चना जोशी

पुस्तकालयाध्यक्ष – डॉ. ममता सिंह

कार्यालय :

1. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी – श्री संजय कुमार नामा
2. कनिष्ठ सहायक – श्री बंशीलाल बाज्या
3. कनिष्ठ सहायक – श्री महेन्द्र चौधरी